रजिस्टर्ड नं० एल० १००

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 10 फरवरी, 1972

माघ 21, 1893 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग

संख्या 222/सत्रह-वि०-195-71

लखनऊ, 10 फरवरी, 1972

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुन: अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1972 पर दिनांक 9 फरवरी, 1972 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1972 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुन: अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1972)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) अधिनियम, 1952 ई० के उपबन्धों को कतिपय संशोधनों के साथ पुन: अधिनियमित करने का तथा उसके अनुसरण में किये गये कार्यों को वैध करने का तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने का]

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तरप्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुन: अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार उस क्षेत्र में होगा जहां विनाश अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन उक्त अधिनियम प्रवृत्त हो।

(3) यह धारा और धारा 2, 3, 4, 5 तथा 7, 23 जून, 1952 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी और धारा 6, 8, 9 तथा 10 तुरन्त प्रवृत्त होंगी।

परिभाषायें

2—जब तक कि विषय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "विनाश अधिनियम" का तात्पर्य 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम से है ;

(ख) "नियत दिनांक" का तात्पर्य 21 मई, 1952 से है;

(ग) "कलेक्टर" के अन्तर्गत कोई अपर कलेक्टर अथवा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए कलेक्टर द्वारा अधिकृत प्रथम श्रेणी का सहायक कलेक्टर भी है;

(घ) "जिला न्यायाधीश का न्यायालय" के अन्तर्गत किसी ऐसे अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय भी है जिसे जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा धारा 4 के अधीन कोई अपील अभ्यर्पित की जाय;

(ङ) किसी भूमि के सम्बन्ध में, "मध्यवर्ती" का तात्पर्य स्वामी, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार और अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी, और दवामी काश्तकार से है;

(च) "पट्टा" के अन्तर्गत माफी या रियायती लगान की काश्त भी है;

(छ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(ज) "संक्रामण अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) अधिनियम, 1952 से है ;

(झ) ऐसे शब्दों तथा पदों के, जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त ऐक्ट में उनके लिए दिये गये हैं।

नियत दिनांक के बाद किये गये या रजिस्ट्रीकृत पट्टे और अन्य व्यवहार आरम्भ से ही शून्य होंगे

3—किसी विधि या संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी—

(1) मध्यवर्ती द्वारा भूमि का पट्टा, जो नियत दिनांक या उसके पश्चात् दिया गया या रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, निष्पादन के दिनांक से अकृत और शून्य होगा और एतद्द्वारा अकृत तथा शून्य घोषित किया जाता है, और पट्टेदार (चाहे उसने ऐसे पट्टे के अनुसरण में या उसकी प्रत्याशा में, नियत दिनांक के पूर्व या उसके पश्चात् कब्जा प्राप्त किया हो) यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 की धारा 180 और विनाश अधिनियम की धारा 209 के प्रयोजनों के लिए ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा जो तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के विपरीत भूमि पर काबिज हो।

(2) किसी मध्यवर्ती और किसी काश्तकार के बीच किया गया ऐसा व्यवहार जिससे काश्तकार को अपने खाते या उसके किसी भाग के विक्रय द्वारा संक्रामण का अधिकार प्राप्त हो और जो नियत दिनांक को या उसके पश्चात् किया या निष्पादित किया गया या रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, निष्पादन के दिनांक से अकृत और शून्य होगा और एतद्द्वारा अकृत और शून्य घोषित किया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "रजिस्ट्रीकरण" का तात्पर्य लेखों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार रजिस्ट्रीकरण से है और इसके अन्तर्गत यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 की धारा 57 के अधीन प्रमाणीकरण भी है।

परिणाम तथा प्रक्रिया

4—(1) यदि धारा 3 के उपबन्धों के आधार पर किसी भूमि के सम्बन्ध में कोई पट्टा या अन्य व्यवहार शून्य हो जाय, तो उससे सम्बद्ध भूमि के या ऐसी भूमि पर किन्हीं वृक्षों के सम्बन्ध में सभी व्यक्तियों के अधिकार और आभार, उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये इस प्रकार समझे जायेंगे मानों ऐसा पट्टा या अन्य व्यवहार न कभी स्वीकृत किया गया था या न कभी उसकी अनुमति दी गयी थी।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा पट्टा दिया गया था अथवा जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था, अथवा उसके हित उत्तराधिकारी का ऐसे पट्टे या व्यवहार के अनुसरण में किसी भूमि पर कब्जा (चाहे अन्वयाश्रित या वास्तविक हो जिसमें कृषीय कब्जा भी सम्मिलित है) हो, तो इस आधार पर कि उसका किसी निश्चित समय पर या किसी निश्चित अवधि के लिये भूमि पर कब्जा रहा है अथवा यूनाइटेड प्राविंसेन्ज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के अधीन अनुरक्षित किसी अभिलेख या रजिस्टर में इस प्रकार कब्जा रखने के किसी इन्दराज के आधार पर, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, उसके पक्ष में कोई अधिकार प्रोद्भूत हुआ नहीं समझा जायगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निहित किसी बात से किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके कब्जे में उपर्युक्त ऐसे पट्टे या अन्य व्यवहार के अनुसरण में कोई भूमि हो, ऐसी भूमि के संबंध में किसी लगान, मालगुजारी या अन्य लोक देयों के लिये उसके दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) कलेक्टर या उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी के लिये—

(क) ऐसे पट्टे या अन्य व्यवहार में सम्मिलित भूमि का और उस पर के किन्हीं वृक्षों का कब्जा और प्रभार लेना, और ऐसी कार्यवाही करना अथवा करवाना और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग करना अथवा प्रयोग करवाना जो कलेक्टर अथवा इस प्रकार नियुक्त अधिकारी की राय में आवश्यक हों;

(ख) ऐसे पट्टे या अन्य व्यवहार में सम्मिलित किसी भूमि, भवन या अन्य स्थान में प्रवेश करना, और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उसका सर्वेक्षण करना अथवा उसका माप लेना;

(ग) किसी व्यक्ति से ऐसे प्राधिकारी को, जो निर्दिष्ट किया जाय, किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में कोई पुस्तिका या अन्य लेख्य प्रस्तुत करने और ऐसे प्राधिकारी को ऐसी अन्य सूचना देने, जो निर्दिष्ट की जाय, की अपेक्षा करना; और

(घ) यदि अपेक्षित पुस्तिका, लेखा तथा अन्य लेख्य प्रस्तुत न किये जायं, तो किसी भूमि, भवन या अन्य स्थान में प्रवेश करना और ऐसी पुस्तिका, लेखा तथा अन्य लेख्यों को अभिगृहीत करना और उनका कब्जा लेना;

वैध होगा ।

(5) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर के किसी कार्य या आदेश से क्षुब्ध हो, उसके पास आपत्ति कर सकता है जिसमें वह अपने अधिकारों का पूरा ब्योरा देगा और इस बात का अभिवेदन करेगा कि धारा 3 के और उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध उक्त भूमि या उसके किसी भाग से सम्बन्ध नहीं रखते, और कलेक्टर सरसरी जांच करने के पश्चात् आपत्ति पर निर्णय देगा ।

(6) कलेक्टर का निर्णय, उपधारा (7) के अन्तर्गत किसी अपील या पुनरीक्षण के परिणाम के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा ।

(7) कोई व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार भी है), जो उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध हो, आदेश के विरुद्ध ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाय, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील कर सकता है जिसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा ।

निजी जोत के अधीन भूमि के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

5—(1) यदि धारा 3 के उपबन्धों के आधार पर किसी पट्टे या अन्य व्यवहार के शून्य हो जाने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति से जिसे ऐसा पट्टा दिया गया हो या जिसे कोई अधिकार प्रदत्त किया गया हो अपने निजी जोत के अधीन धृत किसी भूमि को सौंप देने की अपेक्षा की जाय, तो वह उक्त भूमि में से उतनी भूमि को, जो उक्त व्यक्ति द्वारा धृत किसी अन्य भूमि के साथ मिलकर (समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अर्थ में) अधिकतम जोत क्षेत्र से अधिक न हो, इस अधिनियम के प्रवर्तन से विमुक्त करने के लिए कलेक्टर को, ऐसे ब्योरों सहित, जो विहित किये जायं, एक आवेदन-पत्र दे सकता है ।

(2) तदुपरान्त कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो विहित की जाय, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जिसे वह, समस्त संगत परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् और ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्दिष्ट करे, पूर्वोक्त विमुक्ति का आदेश दे सकता है और ऐसे प्रतिकर के लिए जो उसकी राय में उक्त भूमि पर कब्जे से अस्थायी रूप में वंचित होने के लिए दिया जाना चाहिए, तथा उक्त प्रतिकर को उन सभी व्यक्तियों के बीच जो ज्ञात हो या जिनके बारे में यह विश्वास हो कि भूमि में उनका स्वत्व है और जिनकी या जिनके दावों की उसे सूचना हो, चाहे वे क्रमशः उसके समक्ष उपस्थित हुए हों या नहीं, विभाजित किये जाने के सम्बन्ध में अभिनिर्णय दे सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार भी है), जो उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर के आदेश से, विमुक्ति स्वीकृत या अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में या स्वीकृत विमुक्ति की सीमा के सम्बन्ध में, या इस प्रकार विमुक्त भूमि की निर्दिष्टि के सम्बन्ध में या प्रतिकर की धनराशि या जिसे वह देय हो, उस व्यक्ति के सम्बन्ध में, अथवा हित रखने वाले व्यक्तियों के बीच उक्त प्रतिकर के विभाजन के सम्बन्ध में क्षुब्ध हों, तो वह आदेश के विरुद्ध, ऐसी समयावधि के भीतर जो विहित की जाय, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील कर सकता है जिसका निर्णय, उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण पर जारी किये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा ।

(4) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्ध इस धारा के अधीन प्रतिकर सम्बन्धी समस्त कार्यवाहियों के सम्बन्ध में यथासम्भव लागू होंगे ।

धारा 4 में अभिदिष्ट भूमि में वृक्ष गिराने इत्यादि के लिये शास्ति

6—कोई व्यक्ति जो किसी वृक्ष को गिराता है, विरान करता है, काट-छांट करता है, चुधाता है, ठूठ बनाता है या जलाता है अथवा उसकी छाल उतारता है या किसी अन्य प्रकार से वृक्ष को क्षति पहुंचाता है अथवा धारा 4 में अभिदिष्ट किसी भूमि को खेती के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ता है या साफ करता है अथवा ऐसी भूमि पर किसी वन में अथवा वृक्षों में आग लगाता है या ऐसे वन के किसी वृक्ष को क्षति पहुंचाता है अथवा पशुओं द्वारा किसी ऐसे वृक्ष को क्षति पहुंचाने देता है, तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायगा जो तीन वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ-दण्ड दिया जायगा या दोनों दण्ड दिये जायेंगे ।

नियम बनाने की शक्ति

7—(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में अथवा दो या उससे अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिनों की अवधि पर्यन्त रख जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या संशोधन का उनके अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।

वैधीकरण

8—(1) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, संक्रामण अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसरण में, या विनाश अधिनियम की धारा 4, 6 और 25 के उपबन्धों के अनुसरण में किसी भूमि या उस पर किसी वृक्ष के सम्बन्ध म इस आधार पर कि संक्रामण अधिनियम की धारा 3 के उपबन्ध वैध तथा प्रभावी थे, किया गया या किये जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य अथवा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर किया गया या की गई समझी जायगी और सदैव से ही इस प्रकार वैध रूप से किया गया या की गई समझी जायगी मानो यह अधिनियम सदैव से प्रवृत्त था ।

(2) विशेषत: और पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 के अधीन किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण का किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई आदेश धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने या धारा 6 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोग चलाने में कोई रुकावट नहीं होगी और न ही उसे रुकावट होना समझा जायगा ।

सद्भावना से किये गये कार्य के लिए संरक्षण

9—राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के अधीन सद्भावना से किया जाय अथवा किये जाने के लिए अभिप्रेत हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1952 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16, 1971 का निरसन

10—उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) अधिनियम, 1952 ई० तथा उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुन: अधिनियमन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

No. 222(2)/XVII-V—195-71

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhaumik Adhikar (Sankraman Viniyaman) (Punah Adhiniyaman Tatha Vaidhikaran) Adhiniyam, 1972 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 1972) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on February 9, 1972.

THE UTTAR PRADESH LAND TENURES (REGULATION OF TRANSFERS) (RE-ENACTMENT AND VALIDATION) ACT, 1972

[U. P. Act No. 12 of 1972]

(As passed by the Uttar Pradesh Vidhan Mandal)

AN

ACT

to re-enact the provisions of the U. P. Land Tenures (Regulation of Transfers) Act, 1952, with certain amendments and to validate action taken in pursuance thereof, and to provide for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-second Year of the Republic of India as follows :

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Land Tenures (Regulation of Transfers) (Re-enactment and Validation) Act, 1972.

(2) It extends to the area in which the Abolition Act is in force under sub-section (3) of its section 1.

(3) This section and sections 2, 3, 4, 5 and 7 shall be deemed to have come into force on twenty-third day of June, 1952 and sections 6, 8, 9 and 10 shall come into force at once.

Definitions.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(*a*) "Abolition Act" means the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 ;

(*b*) "appointed date" means the twenty-first day of May, 1952 ;

(*c*) "Collector" includes an Additional Collector or Assistant Collector of the first class empowered by the Collector to perform his functions under this Act ;

(*d*) "Court of District Judge" includes a Court of an Additional District Judge to whom any appeal under section 4 is assigned by the Court of District Judge ;

(*e*) "intermediary" as respects any land means a proprietor, an under-proprietor, a sub-proprietor, a thekedar and a permanent lessee in Avadh, and a permanent tenure-holder ;

(*f*) "lease" includes a rent-free grant or a grant at a favourable rate of rent ;

(*g*) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act ;

(*h*) "Transfer Act" means the U. P. Land Tenures (Regulation of Transfers) Act, 1952 ;

(*i*) Words and expressions not defined in this Act and defined in the U. P. Tenancy Act, 1939, shall have the meaning assigned to them in that Act.

Lease and transactions made or registered after the appointed date to be void *ab initio*.

3. Notwithstanding anything contained in any law or contract to the contrary—

(1) a lease of land by an intermediary either granted or registered on or after the appointed date shall be and is hereby declared null and void from the date of execution, and the lessee (irrespective of whether he obtained delivery of possession, before or after the appointed date, either in pursuance or in anticipation of such lease) shall for purposes of section 180 of the U. P. Tenancy Act, 1939 and section 209 of the Abolition Act, be deemed to be a person in possession of the land otherwise than in accordance with the provisions of the law for the time being in force.

(2) a transaction between an intermediary and a tenant conferring on the tenant a right to transfer by sale his holding or any part thereof either made or entered into or registered on or after the appointed date, shall be and is hereby declared null and void from the date of execution.

Explanation—In this section, registration means registration in accordance with the law for the time being in force relating to registration of documents and includes attestation under section 57 of the U. P. Tenancy Act, 1939.

Consequences and procedure.

4. (1) Where any lease or other transaction in relation to any land is rendered void by virtue of the provisions of section 3, the rights and obligations of all persons in relation to that land or to any trees on such land shall, subject to the provisions of sub-sections (2) and (3), be so deemed as if such lease or other transaction were never granted or entered into.

(2) Where any person to whom such lease was granted or with whom such transaction was entered into or his successor-in interest, has been in possession (whether constructive or actual, including cultivatory possession) of any land in pursuance of such lease or transaction no right shall be deemed to accrue in his favour under any law for the time being in force on the basis of his having held or been in possession of the land at a certain time or for a certain period or on the basis of any entry of such possession in any record or register maintained under the United Provinces Land Revenue Act, 1901.

(3) Nothing contained in sub-section (1) or sub-section (2) shall affect the liability of any person in possession of any land in pursuance of such lease or other transaction as aforesaid for any rent, revenue or other public dues in relation to such land.

(4) It shall be lawful for the Collector or any officer appointed by him in that behalf—

(*a*) to take over possession and charge of the land included in such lease or other transaction and of any trees thereon, and to take or cause to be taken such steps, and use or cause to be used such force, as may, in the opinion of the Collector or the officer so appointed, be necessary for the purpose ;

(*b*) to enter upon any land, building or other place included in such lease or other transaction, and to make a survey or take measurement thereof for carrying out the purposes of this Act ;

(*c*) to require any person to produce to such authority as may be specified any books, accounts or other documents relating to any such land and to furnish to such authority such other information as may be specified ; and

(*d*) if the books, accounts and other documents are not produced as required, to enter upon any land, building or other place and seize and take possession of such books, accounts and other documents.

(5) Any person aggrieved by an act or order of the Collector under sub-section (4) may make an objection to him giving full particulars of his right and representing that the provisions of section 3 and of sub-sections (1) and (2) are not attracted to the land or to any part thereof, and the Collector shall decide the objection after a summary inquiry.

(6) The decision of the Collector shall, subject to the result of any appeal or revision under sub-section (7), be final.

(7) Any person (including the State Government) aggrieved by an order of the Collector under sub-section (4) may prefer an appeal against the order within such period as may be prescribed to the court of the District Judge whose decision, subject to any order passed on revision by the High Court, shall be final.

Special provision in respect of land under personal cultivation.

5. (1) Where as a result of any lease or other transaction becoming void by virtue of the provisions of section 3, any person to whom such lease was granted or on whom any right was conferred is required to deliver any land held by him under his personal cultivation, he may make an application containing such particulars as may be prescribed, to the Collector for exemption of so much of such land as, together with any other land held by that person, does not exceed the ceiling area (within the meaning of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, as amended from time to time), from the operation of this Act.

(2) Thereupon the Collector, after such inquiry as may be prescribed, may make an order of exemption as aforesaid in respect of such land as he may after consideration of all relevant circumstances and for reasons to be recorded

specify, and also make an award of the compensation which in his opinion should be allowed for the temporary deprivation of possession over such land and the apportionment of the said compensation among all persons known or believed to be interested in the land, of whom or of whose claims he had information, whether or not they have respectively appeared before him.

(3) Any person (including the State Government) aggrieved by an order of the Collector under sub-section (2) either in respect of grant or refusal of exemption or the extent of the exemption granted or the specification of the land so exempted or in respect of the amount of compensation, the person to whom it is payable, or the apportionment of the compensation among the persons interested, may prefer an appeal against the order within such period as may be prescribed to the Court of the District Judge, whose decision, subject to any order passed on revision by the High Court, shall be final.

(4) The provisions of the Land Acquisition Act, 1894, shall, so far as may be, apply in relation to all proceedings relating to compensation under this section.

Penalty for felling etc., of trees on land referred to in section 4.

6. Any person who fells, girdles, lops, taps, pollards or burns any tree or strips off, or otherwise damages any tree or breaks up or clears for cultivation or any other purpose any land referred to in section 4 or sets fire to any forest or trees on such land or damages any tree of such forest or permits cattle to damage any such tree, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.

Power to make rules.

7. (1) The State Government may by notification in the *Gazette* make rules for carrying out the purpose of this Act.

(2) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in its one session or in two or more successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette* subject to such modifications or amendments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Validation.

8. (1) Notwithstanding any judgment, decree or order of any court, tribunal or other authority, anything done or purporting to have been done or any action taken or purporting to have been taken in regard to any land or any trees thereon in pursuance of the provisions of section 3 of the Transfer Act, or in pursuance of the provisions of sections 4, 6 and 25 of the Abolition Act, on the basis that the provisions of section 3 of the Transfer Act, were valid and effectual, shall be deemd to have been done or taken by virtue of the provisions of this Act and be deemed to be and always to have been as validly done or taken as if this Act was always in force.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provision, no order of any court, Tribunal or other authority under the Indian Forest Act, 1926, as amended in its application to Uttar Pradesh in favour of any person shall bar or be deemed to bar any action against him under sub-section (4) of section 4, or his prosecution for an offence under section 6.

Protection of action taken in good faith.

9. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or an officer or servant of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule or order made thereunder.

Repeal of U. P. Act no. 15 of 1952 and U.P. Ordinance no. 16 of 1971.

10. The Uttar Pradesh Land Tenures (Regulation of Transfers) Act, 1952 and the Uttar Pradesh Land Tenures (Regulation of Transfers) (Re-enactment and Validation) Ordinance, 1971, are hereby repealed.

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश,
सचिव ।

पी०—ए० पी० 321 गजट (हि०)—1972—1,967+250 (मे०) ।